इन्दिरा गांधी राज्य खेल परिसर संचालन समिति के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग–एक

1 **(i) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन**

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अंकेक्षण आपत्तियों पर की गई कार्रवाई का सत्यापन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से पाई गई। अतः अनिर्णीत अंकेक्षण आपित्तयों के निपटारे हेतु विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 8/1997 से 3/2003

1.	पैरा 9	अनिर्णीत
2.	पैरा 13	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2005

1.	पैरा 7	अनिर्णीत
2.	पैरा 8	अनिर्णीत
3.	पैरा 9	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1.	पैरा 7	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011

1.	पैरा 5	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2013

1.	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क की ₹6000 बैंक ड्राफ्ट संख्याः 778440, दिनांक 22.2.2014 द्वारा जमा)	
2.	पैरा 4	निर्णीत		
3.	पैरा 5	निर्णीत	(संशोधित पुनः प्रारूपित)	
4.	पैरा 6	अनिर्णीत		
5.	पैरा 7	अनिर्णीत		
6.	पैरा 8	अनिर्णीत		
7.	पैरा 9	निर्णीत	(संशोधित पुनः प्रारूपित)	
8.	पैरा 10	निर्णीत	(संस्था द्वारा प्रस्तुत रसीद के अवलोकन उपरान्त)	
9.	पैरा 11	अनिर्णीत		
10.	पैरा 12	निर्णीत	रसीद सं0 53144, दिनांक 22.1.15	1803
			रसीद सं0 53143, दिनांक 22.1.15	1820
			रसीद सं0 53114, दिनांक 22.1.15	2097
			रसीद सं0 56482, दिनांक 1.9.15	2097
			रसीद सं0 53533, दिनांक 23.2.15	2097
			कुल राशि	9914

			की वसूली के उपरान्त निर्णीत
11.	पैरा 13	निर्णीत	(प्रस्तुत प्रमाण पत्र व स्पष्टीकरण के उपरान्त निर्णीत)
12.	पैरा 14	निर्णीत	(चलान सं0 28, दिनांक 15.9.2016 द्वारा ₹691 जमा करवाने के उपरान्त)
13.	पैरा 15	निर्णीत	(चलान सं0 161, दिनांक 9.11.15 द्वारा ₹1682 की राशि जमा करवाने के उपरान्त)
14.	पैरा 16	अनिर्णीत	

(ii) गम्भीर अनियमितताओं का सार

क्रम संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का सार	पैरा संख्या	राशि लाखों में
1	बिना निविदाएं आमन्त्रित किए ही मदों का क्रय करना	7	1.05
2	हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 के नियम 98 व 99 के अनुसार विहित प्रक्रिया का अनुसरण न करके मदों का क्रय करना	8	10.38
3	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से विभिन्न कार्यों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	10	15.67
4	बिना सक्षम प्राधिकारी/प्रबन्धन समिति की स्वीकृति के व्यय/भुगतान करना	11	9.26

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

इन्दिरा गांधी राज्य खेल परिसर संचालन समिति के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री चेत राम ठाकुर, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 30.8.2016 से 16.09.2016 के दौरान इन्दिरा गांधी राज्य खेल परिसर के कार्यालय में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 6/2013, 7/2014 व 7/2015 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 9/2013, 11/2014 व 12/2015 के लेखों का चयन किया गया।

यहाँ यह भी प्रमाणित किया जाता है वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उक्त संस्था द्वारा कोई सूचना उपलबध न करवाने अथवा गलत सूचना उपलब्ध करवाने पर पाई गई अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

इन्दिरा गांधी राज्य खेल परिसर संचालन समिति के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं के वर्तमान अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹13,000 (रुपये तेरह हजार मात्र) आंका गया। अनुभाग अधिकारी (ले0प0) की अधियाचना संख्याः 9/2016 दिनांक 15.9.2016 द्वारा उक्त राशि रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 को शीघ्र भेजने हेतु अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

इन्दिरा गांधी राज्य खेल परिसर संचालन समिति द्वारा प्रस्तुत अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से पाई गई जिसका विवरण **परिशिष्ट–''क''** पर भी दिया गया है।

Year wise Financial Position of Income & Expenditure of Indira Gandhi State Khel Perisher Shimla-1

Year	Opening Balance	Income	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
2013-14	20,47,067	28,06,295	0	48,53,362	20,10,891	28,42,471
2014-15	28,42,471	18,23,049	0	46,65,520	27,26,527	19,38,993
2015-16	19,38,993	24,77,912	0	44,16,905	25,96,126	18,20,779

₹18,20,779 जिला राजकीय कोष, शिमला–1 के खाता संख्या 8443 में है।

5 आय से प्राप्त रोकड़ को PLA में विलम्ब से जमा करना

अंकेक्षणाधीन अवधि 4/2013 से 3/2016 में चयनित माह की आय का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार रसीदों से प्राप्त आय की राशि को विलम्ब से रोकड़ बही में गणना/PLA खाता संख्या में जमा करवाया गया था जोकि वित्तीय नियमों के प्रतिकूल होने के कारण गम्भीर अनियमितता है क्योंकि नियमानुसार प्राप्त आय को उसी दिन या अगले कार्य दिवस को PLA खाता संख्या में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध मे गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी बार–बार आपत्ति उठाई गई थी परन्तु अभी तक कोई भी सुधार नहीं हुआ है।

रसीद संख्या	दिनांक	प्राप्त राशि	रोकड़ बही में प्रविष्टि व PLA में जमा की तिथि
50201 से 50228	10.7.14	8775.00	Rs. 29,678 Challan No. 48 dt. 15-7-14
50229 से 50256	11.7.14	7375.00	

50257 से 50300	14.7.14	13258.00	
50301 से 50356	25.7.14	13350.00	
50357 से 50412	26.7.14	15075.00	Rs. 88,051 Challan No. 41 dt. 30-7-14
50413 से 50623	28.7.14	59626.00	
55601 से 55668	16.7.15	15525.00	Rs. 46,650 challan No. 27 dt. 23-7-15
55701 से 55801	20.7.15	(Cash) 22800.00 (DD) 301000.00	D.D of Rs. 3,01,000 challan No. 25 dt. 28-7-15

अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में प्राप्त आय की राशि को नियमानुसार उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस को बैंक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 वर्षों उपरान्त भी सदस्यता शुल्क व अन्य शुल्कों की समीक्षा न करना

अंकेक्षणाधीन अवधि 4/2013 से 3/2016 में चयनित माह की आय सम्बन्धित अभिलेख की जाँच के दौरान पाया गया कि सदस्यता शुल्क व खेल शुल्क का निर्धारण प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 5.11.2003 को किया गया था। इसके उपरान्त अंकेक्षणाधीन अवधि तक सदस्यता शुल्क व अन्य शुल्कों की समीक्षा नहीं की गई थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि परिसर द्वारा लिए जाने वाले समस्त शुल्कों की समीक्षा सम्बन्धी मामला प्रबन्धन समिति के समक्ष उचित सुझावों सहित रखा जाए ताकि परिसर कि आय में बढ़ौतरी हो सके व परिसर के रख–रखाव/मुरम्मत के लिए पर्याप्त राशि उपलबध हो सके।

7 बिना निविदाएँ आमन्त्रित किए ही क्रय मदों पर ₹1.05 लाख का अनियमित व्यय

चयनित माह के व्यय एवं भुगतान वाऊचरों की जाँच में पाया गया कि चयनित माह के निम्न वर्णित विभिन्न प्रकरणों में ₹1,05,465 का व्यय करने से पूर्व निविदाएं आमंत्रित नही की गयी थी जिससे समिति को बाजार प्रतिस्पर्धा का लाभ न हो सका। जबकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 97 के अनुसार ₹3,000 से अधिक का व्यय करने से पूर्व निविदाएं आमंत्रित की जानी अपेक्षित है। इस प्रकार निविदाएं आमंत्रित न करना अनियमित ही नहीं बल्कि आपत्तिजनक भी है। अतः पाई गई अनियमितता बारे स्पष्टीकरण दिया जाए तथा चयनित माह के अतिरिक्त अंकेक्षणाधीन अवधि में इस प्रकार के किए गए अनुचित व्यय की गणना समिति स्तर पर पूर्ण करके अनुचित व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में ₹3,000 से अधिक का व्यय करने से पूर्व नियमानुसार निविदाएं आमंत्रित की जानी सुनिश्चित की जाए। कृत कार्यवाही से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

क्र० सं०	फर्म का नाम जिससे सामान क्रय किया	बिल संख्या व दिनांक	मद का नाम	राशि
1.	Image Maker, Computer, Shimla-1	6911/12-8-13	Scanner Charge	3500-00
2.	V.R. Engineers, Timber House, Shimla-1	8204/23-9-13	Crockery items	4180-00
3.	City Hardware & Electrical, Lower Bazar Shimla-1	Nil/25-9-13	Light repair Charges	14500-00
4.	Sh. Malkeet, Krishna Nagar Shimla	Nil/21-9-13	Septic Tank Cleaning	3400-00
5.	Shimla Distt. Table Tenis Association	No. SDTTA/Corr /27-15-16 14-10-15	Tenis Table 2 Nos. 25000 x 2 = 50000 Carriage = 5000	55000-00
6.	Kailash Distt. Co-operative Marketing & Consumer Federation Ltd. Shimla-1	4477/26-11-15	Soft Set 3 Seater = one set.	17325-00
7.	Kailash Distt. Co-operative Marketing & Consumer Federation Ltd. Shimla-1	4495/30-11-15	Footmat = 60 sqft	7560-00
			Total	**1,05,465-00**

8 हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 के नियम 98 व 99 के अनुसार विहित प्रक्रिया का अनुसरण न करके ₹10.38 लाख की मदों का क्रय करना

चयनित माह के व्यय एवं भुगतान वाऊचरों की जाँच मं पाया गया कि निम्न वर्णित प्रकरणों में हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 के नियम 98 व 99 के अनुसार विहित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना ही ₹10,38,448 का व्यय किया गया था जिसके कारण समिति को बाजार प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित रहना पड़ा। इस प्रकार विहित प्रक्रिया का अनुसरण न करना अनियमित ही नहीं बल्कि आपत्तिजनक भी है। अतः पाई गई अनियमितता बारे स्पष्टीकरण दिया जाए तथा चयनित माह के अतिरिक्त अंकेक्षणाधीन अवधि में इस प्रकार किए गए अनुचित व्यय की गणना समिति स्तर पर करके अनुचित व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में क्रय करने से पूर्व नियमानुसार विहित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

क्र०सं०	फर्म का नाम जिससे सामान क्रय किया	बिल संख्या व दिनांक	मद का नाम	राशि
1.	मैं0 मोना लीसा हैल्थ केयर, यमुनानगर, हरियाणा	3773/7.8.2013	Butterfly=one	59,742.00

2.	मैं0 मोना लीसा हैल्थ केयर, यमुनानगर, हरियाणा	3775 / 8.8.13	Legcurl/Leg extension one No.	59,742.00
3.	मैं0 मोना लीसा हैल्थ केयर, यमुनानगर हरियाणा	3776 / 21.8.13	Legpress = one	57,242.00
4.	मैं0 मोना लीसा हैल्थ केयर, यमुनानगर, हरियाणा	3884 / 20.11.14	Commercial Treadmill = one No.	3,25,000.00
5.	मैं0 मोना लीसा हैल्थ केयर, यमुनानगर, हरियाणा	3887 / 21.11.14	Commercial Treadmill = one No.	3,25,000.00
6.	मैं0 मोसा स्पोर्ट्स कम्पनी यमुनानगर, हरियाणा	324 / 21.11.14	Spin Bikes = 2 Nos. 48000x2=96000	96,000.00
7.	मैं0 नवीन & कम्पनी दी मॉल शिमला–1	943 / 9.11.15	हार्डवेयर आइटम्स	58,863.00
8.	मैं0 नवीन & कम्पनी दी मॉल शिमला–1	950 / 17.12.15	हार्डवेयर आइटम्स	56,859.00
			कुल योग	**10,38,448.00**

9 इन्दिरा गांधी राज्य खेल परिसर निधि से ₹0.05 लाख का अनुचित भुगतान

चयनित माह के व्यय एवं भुगतान वाऊचरों की जाँच में पाया गया कि परिसर के संचालन हेतु युवा सेवाएँ एवं खेल विभाग से तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से काटे गए आयकर की तिमाही रिटर्न (Form No. 24Q) तैयार करने हेतु मैं0 सोनी & रस्तोगी, शिमला–2, को निम्न विवरणानुसार ₹5343 का भुगतान किया गया था जोकि परिसर के संचालन हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के प्रतिकूल है तथा निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः उक्त भुगतान का नियमानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाए और सक्षम प्राधिकारी/प्रबन्धन समिति की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके परिसर निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	बिल संख्याः/दिनांक	भुगतान की गई राशि
1	3810 / 3.5.13	385.00
2	20149 / 20.7.13	389.00
3	20709 / 21.10.13	389.00
4	4394 / 21.1.14	389.00
5	4834 / 5.5.14	389.00
6	5330 / 23.7.14	394.00
7	5971 / 28.10.14	394.00
8	0642 / 15.1.15	394.00
9	0957 / 6.5.15	433.00
10	1284 / 16.7.15	445.00

11	1684 / 21.10.15	449.00
12	1921 / 12.1.16	451.00
13	1500 / 22.9.15	442.00
	कुल योग	**5343.00**

10 हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से विभिन्न निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ₹15.67 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना

संस्थान द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु ₹15,66,631 हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के पास ''डिपोजिट कार्यों'' के रूप में जमा करवाये हैं जिसका विवरण **''परिशिष्ट–ख''** पर दिया गया है। अतः उक्त परिशिष्ट में दी गयी राशियों से सम्बन्धित उपयोगिता व कार्य समापन प्रमाण–पत्र हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से प्राप्त नहीं किए गए जिन्हें प्राप्त करके अनुपालना से यथा समय इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

11 बिना सक्षम प्राधिकारी/प्रबन्धन समिति की स्वीकृति के ₹9.26 लाख का भुगतान करना

चयनित माह के व्यय अभिलेख की जाँच में पाया गया कि व्यय सक्षम अधिकारी/प्रबन्धन समिति की स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही भुगतान किया गया था। अंकेक्षणाधीन अवधि में **''परिशिष्ट–ग''** में वर्णित ₹9,26,462 का भुगतान बिना सक्षम अधिकारी/प्रबन्धन समिति की स्वीकृति के किया गया था। इन सभी मामलों में उप निदेशक, इन्दिरा गांधी राज्य खेल परिसर, द्वारा व्यय स्वीकृति प्रदान की गई थी जोकि नियमानुसार उचित नहीं थी। हिमाचल प्रदेश सरकार, युवा सेवाएं एवं खेल विभाग की अधिसूचना संख्याः YSS-A(1)5/96, दिनांक 27.11.1998 द्वारा इन्दिरा गांधी राज्य खेल परिसर के संचालन हेतु नियम अधिसूचित किए गए थे। जिसके नियम 8 के अनुसार सारी वित्तीय शक्तियाँ प्रबन्धन समिति के पास निहित है। उक्त समिति द्वारा वित्तीय शक्तियों का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 6/2016 दिनांक 9.9.2016 द्वारा भी संस्था को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन से सम्बन्धित नवीनतम आदेश/अधिसूचना अंकेक्षण को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। प्रस्तुत प्रतियुत्तर द्वारा सूचित किया कि प्रबन्धन समिति द्वारा वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं किया गया है। अतः **''परिशिष्ट–ग''** में वर्णित चयनित मामलों को सक्षम अधिकारी/प्रबन्धन समिति की कार्योत्तर व्यय स्वीकृति प्राप्त की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में सक्षम अधिकारी/प्रबन्धन समिति की व्यय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 ₹9.26 लाख की क्रय की गई रख–रखाव/मुरम्मत सामग्री के उपयोग में पाई गई अनियमितताएं

चयनित माह के व्यय एवं भुगतान सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि परिसर का रख–रखाव/मुरम्मत का कार्य संस्थान द्वारा अपने स्तर पर करवाया जा रहा था विस्तृत जांच करने पर पाया कि अंकेक्षणाधीन अवधि में **"परिशिष्ट–ग"** में वर्णित रख–रखाव/मुरम्मत कार्य हेतु क्रय की गई ₹9,26,462 की सामग्री के उपयोग के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएँ पाई गई :–

(i) मुरम्मत कार्य करवाने तथा उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री का विभागीय स्तर पर कोई प्राक्कलन तैयार नहीं किए गए थे जिसके अभाव में क्रय सामग्री का औचित्य/जरूरत की सत्यता अंकेक्षण में प्रमाणित नहीं की जा सकी।

(ii) मुरम्मत कार्य के उपयोग में लाई गई सामग्री से सम्बन्धित उपयोग विवरणियाँ भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में स्टॉक से जारी की गई सामग्री की उपयोगिता अंकेक्षण में प्रमाणित नहीं की जा सकी।

(iii) रख–रखाव/मुरम्मत कार्य के उपरान्त कार्य स्थल से प्राप्त पुरानी वस्तुओं, जोकि पुनः विक्रय योग्य थी, की भी भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी।

(iv) रख–रखाव/मुरम्मत कार्य के उपयोग में लाई गई सामग्री का क्रय, क्रय समिति द्वारा किया गया था परन्तु क्रय समिति के गठन से सम्बन्धित अभिलेख जो अंकेक्षण को प्रस्तुत किया गया के अवलोकन पर पाया गया कि उक्त क्रय समिति केवल छोटे कार्य, आपातकाल तथा ज़रूरी कार्य के सामान हेतु अधिकृत किया गया था।

(v) रख–रखाव/मुरम्मत कार्य से सम्बन्धित क्रय की गई सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियों तथा जारी की गई सामग्री की प्रविष्टियों को भी किसी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।

अतः उपरोक्त वर्णित अनियमितताओं पर अब नियमानुसार कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकने हेतु उचित पग उठाए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

13 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाया जाना

इन्दिरा गांधी राज्य खेल परिसर के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के विभिन्न स्टॉक रजिस्टरों के अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसर द्वारा स्टॉक की विभिन्न मदों का वर्ष वार नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी अंकेक्षण द्वारा आपत्ति

उठाई गई थी। इसके अतिरिक्त स्टॉक/खपत प्रविष्टियां भी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की गई हैं। अतः स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करने तथा स्टॉक प्रविष्टियों को सत्यापित न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्रवाई को अब पूर्ण करके कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

14 बिजली के बिलों में ₹0.18 लाख के Sundry Charges/Arrear के भुगतान बारे

समिति द्वारा सहायक अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को खेल परिसर के अंकेक्षणाधीन अवधि से सम्बन्धित बिजली बिलों में निम्न विवरण के अनुसार ₹18,048 का भुगतान sundry charges के रूप में किया गया था। जिसके बारे में चर्चा दौरान कोई संतोषजनक उतर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उपरोक्त sundry charges के रूप में किए गए भुगतान का मामला हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से उक्त राशि की वसूली हेतु उठाया जाए व औचित्य स्पष्ट करते हुए अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

बिल संख्या	दिनांक	विवरण	भुगतान की गई राशि
111223243356	7-1-2013	Sundry Charges	708.00
111224913793	13-3-2013	Sundry Charges	4472.00
111226317754	14-5-2013	Arrear of previous month	409.00
111232264217	17-1-2014	Arrear of previous month	991.00
111233840315	15-3-2014	Arrear of previous month	789.00
111246009179	18-5-2015	Sundry Charges	10,000.00
		Total	**18,048.00**

15 दिनांक 31.3.2016 को अग्रिम ₹0.07 लाख का समायोजन हेतु शेष पाया जाना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संचालन समिति के लेखों में दिनांक 31.3.2016 को अग्रिम ₹7000 समायोजन हेतु शेष थी जिसका विवरण **''परिशिष्ट–घ''** पर दिया गया है। महाप्रबन्धक, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को परिसर की मुरम्मत हेतु माह 2/2003 में अग्रिम के रूप में ₹1,57,000 प्रदान की गई थी जिसमें से दिनांक 31.3.2016 तक ₹1,50,000 का समायोजन/उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 6/2016 दिनांक 9.9.2016 द्वारा भी संस्था को इस सम्बन्ध में नवीनतम/वस्तु स्थिति से अवगत करवाने हेतु अनुरोध किया गया। संचालन समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतियुत्तर के अवलोकन पर पाया कि दिनांक 31.3.2016 को अग्रिम ₹7000 समायोजन हेतु शेष थी। अतः लगभग गत तेरह वर्षों से उक्त अग्रिम राशि का समायोजन न करना अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर

आपत्तिजनक भी है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उक्त अग्रिम राशि का शीघ्र अति शीघ्र समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 प्रबन्धन समिति के कार्यकाल के सन्दर्भ में

इन्दिरा गांधी राज्य खेल परिसर के संचालन हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार, युवा सेवाएं एवं खेल विभाग की अधिसूचना संख्याः YSS-A(1)5/96, दिनांक 27.11.1998 के नियम 4 के अनुसार परिसर के संचालन हेतु प्रबन्धन समिति का गठन किया जाता है जिसका कार्यकाल तीन वर्ष के लिए निर्धारित था। उक्त समिति का नवीनतम गठन हिमाचल प्रदेश सरकार, युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के कार्यालय आदेश संख्याः YSS-A(1)5/96-1, दिनांक 30.11.2012 द्वारा किया गया था व नियमानुसार समिति का कार्यकाल दिनांक 29.11.2015 को समाप्त हो चुका है। अतः समिति के पुनः गठन हेतु मामला हिमाचल प्रदेश सरकार से उठाया जाए ताकि समिति द्वारा किए जाने वाले कार्यों की वैधता प्रभावित न हो। अनुपाला से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

17 लधु आपत्ति विवरणिकाः— लघु आपतियों का स्थल पर ही निपटारा कर दिया गया था। अतः यह विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई थी।

18 निष्कर्ष :— लेखों में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)225/2003—खण्ड—2—6116—6118, दिनांकः19.11. 2016 शिमला—09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृत

1. उप निदेशक इन्दिरा गांधी राज्य खेल परिसर, शिमला—171001 (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, युवा सेवाएं एवं खेल, हिमाचल प्रदेश (सचिवालय) शिमला—171002
3. अवर सचिव (युवा सेवाएं एवं खेल), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला—171002

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009